

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी दमोह (म0प्र0)

कमांक 810 / 2017

दिनांक:- 30 / 8 / 2017

प्रति,

मेसर्स मलैया ट्रेक्टर्स
दमोह (म0प्र0)

विषय:- व्यापार प्रमाण पत्र को निलंबित किये जाने बावत्।

संदर्भ:- पत्र कमांक 744 / 2017 दिनांक 22.08.2017।

.....000.....

विषयांतर्गत कथ में आपको सूचित किया जाता है, कि आपके द्वारा तीन ट्रेक्टर्स में गलत पता प्रस्तुत करते हुये गलत तरीके से व्ही0 आई0 डी0 तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। जो नियमानुसार गंभीर गलती है।

अतः इस बावत् आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर से संतुष्ट न होते हुये आपका व्यापार प्रमाण पत्र 01/09/2017 से 09/09/2017 तक की अवधि के लिये निलंबित किया जाता है। इस अवधि में आपके द्वारा ट्रेक्टर विक्रय नहीं किये जावेगे।

मे. मलैया ट्रेक्टर
प्रोप्राईटर

30/8/17
जिला परिवहन अधिकारी
(दमोह (म0प्र0))
30/8



पता- राम विपरीया दिगम्बर, वासाकोट रोड, दमोह
Email- smart_damoh@yahoo.com

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, दमोह

क्रमांक १३ / जि०प०अधि० / २०१९

दिनांक- २४/०६/२०१९

प्रति,

मैलर्य ट्रेक्टरर्स
जबलपुर नाका दमोह, (म.प्र.)

विशय:- ट्रेक्टर क्रमांक MP34AA1184, 1243, 1244 के संबंध में।

—000—

विषयान्तर्गत क्रम में आपको सूचित कि आपके द्वारा नवीन ट्रेक्टर क्रमांशः MP34AA1184, 1243, 1244 की मूल्य नस्तरियाँ VID सहित इन्रोलमेन्ट कर कार्यालय में प्रस्तुत कर गलत पते दर्ज कर पंजीयन कराया गया है। इस संबंध में आपको पूर्व में भी सूचित किया गया था, चूँकि विधानसभा में उत्तर प्रस्तुत किया जाना है। एवं आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण दिनांक २५.०६.२०१९ से दस दिवस के लिये आपका व्यापार प्रमाण पत्र पुनः इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अंदर अपना संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करें। अन्यथा व्यापार प्रमाण पत्र हमेशा के लिये निरस्त कर दिया जावेगा। तथा साथ ही आपके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी जावेगी।

मे. मैलर्य ट्रेक्टरर्स

प्रोप्राईटर

25/06/19
जिला परिवहन अधिकारी
दमोह (म.प्र.)
AMB